संख्याः– /XXXVI(2)/25–06(बजट)/2020

प्रेषक,

सुधीर कुमार सिंह,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली–नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक मार्च, 2025

विषयः–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल के मानक मद–27 में कम पड़ रही धनराशि के दृष्टिगत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–139/बजट/2024–25 दिनांक 15.02.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–09–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के मानक मद–11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय एवं मानक मद–40–मशीन, उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र में अवशेष धनराशि में से क्रमशः रू॰ 20,000/– एवं रू॰ 37,000/– इस प्रकार कुल रू॰ 57,000/–(रूपये सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि मानक मद–27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोग(**संलग्न बी0एम0–09 के अनुरूप**) करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत उपरोक्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/201358/2024, दिनांक 22.03.2024 एवं प्रथम अनुपूरक आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/238662/2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा–मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी

अनुदान संख्या शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।

6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथा समय शासन को प्रेषित किया जाय।

7. उक्त प्रस्तावित व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि नियमानुसार समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। किसी भी दशा में अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत समायोजन व्यय, अतिरिक्त व्यय भार हेतु आरक्षित नहीं की जायेगी।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–09–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के मानक मद–27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

10. उक्त धनराशि वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट पत्र संख्या–280232/2025, दिनांक 05 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुसार संलग्न पुनर्विनियोग अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा निर्गत की जा रही है।

(एलोटमेन्ट आई॰डी॰)

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 07-03-2025 17:33:53

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajesh Kumar Vyas
Date: 07-03-2025 17:34:47

(राजेश कुमार)
संयुक्त सचिव।